**श्री सभापति** : कोई सवाल नही ।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : समाचारपत्रों में बहुत सी बातें छपती हैं और उनकी छानबीन कर लेना जरूरी है । यह कहना कि आडवाणी जी रायपुर गए थे **...(व्यवधान)...** या रायपुर बिना जाए हुए उन्होंने यहां से ऐसा षड़यंत्र गूंथा कि जिसमें जोगी जी फंस जाएं, इसमें सचाई नही है । सीबीआई अगर चाहे तो इस पहलू की भी जांच कर सकती है ।

**डा0 अबरार अहमद** : सर, मेरा एक सवाल है ।

**श्री सभापति** : कोई सवाल नही, कोई क्वेश्चन नही । Next. *...(Interruptions)...* No, no; I am not allowing you. *...(Interruptions)...*

**डा0 अबरार अहमद** : *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. *...(Interruptions)...*

**डा0 अबरार अहमद** : *

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record. ...(Interruptions)... Mr. Basu. ...(Interruptions)... मिस्टर बसु, आपका नही । यह इनका स्टेटमेंट है ।...(Interruptions)...

**डा0 अबरार अहमद** : *

DR. ARUN KUMAR SARMA: *

**श्री सभापति** : यह रिकार्ड पर नही जा रहा है ।मेरी बिना अनुमति के बोल रहे है कोई रिकार्ड पर नही जाएगा । **...(व्यवधान)...**

**डा0 अबरार अहमद** : *

**श्री सभापति** : कांग्रेस पार्टी के लीडर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको बन्द करें । **...(व्यवधान)...** यह क्या तमाशा है ? आपकी यह कोई बात रिकार्ड पर नही है । **...(व्यवधान)...**

---

## JUDGEMENT OF SUPREME COURT OF INDIA ABROGATING THEREBY THE RIGHT TO STRIKE BY EMPLOYEES AND WORKERS - Contd.

**श्री नीलोत्पल बसु** : सर, आप कुछ पूछ रहे थे । **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : स्ट्राइक के मामले में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये इसके ऊपर आज स्टेटमेंट दें या बाद में दें । **...(व्यवधान)...** मैं समझता कि सारे प्वाइंट्स कवर कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि बाद में स्टेटमेंट दें । **...(व्यवधान)...**

* Not Recorded.

**श्री नीलोत्पल बसु** : यह सरकार की अभिरूचि है कि जब चाहे सरकार जवाब दें सकती है यदि आज दे सकती है तो बेहतर होगा क्योंकि आज हड़ताल हो रही है । **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : ठीक है, आज दे देगी । **...(व्यवधान)...**

**श्री रामचन्द्र खूंटिआ** : प्रधानमंत्री जी हैं **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : मैं प्रधानमंत्री जी को नही रोकूंगा, वे रूके या न रूकें । **...(व्यवधान)...**

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam) : *

**श्री सभापति** : मैं बिल्कुल एलाऊ नही कर रहा हूं । यह बिल्कुल रिकार्ड पर नही जा रहा है । आप मेरी बिना अनुमति के नही बोल सकते । अगर बोलेंगे तो रिकार्ड पर नही जाएगा । **...(व्यवधान)...**

DR. ARUN KUMAR SARMA: *

**श्री सभापति** : आप नही बैठ रहे है । **...(व्यवधान)...** आप बैठिए अहलुवालिया जी । **...(व्यवधान)...** वह रिकार्ड पर नही जाएगा । आप बोलिए । यह रिकार्ड पर नही जा रहा है । **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरूपम** : *

DR. ARUN KUMAR SARMA: *

**श्री सभापति** : आप उन्हें क्यों देख रहे है, मेरी तरफ देखिए **...(व्यवधान)...** आप बोलिए । आपकी बात बिल्कुल रिकार्ड पर नही जा रही है । मैं आपको फिर कह देता हूं **...(व्यवधान)...**

DR. ARUN KUMAR SARMA: *

**श्री सभापति** : आप एक मिनट मेरी सुनिए । यदि आपको बात करनी है तो चेम्बर में आकर बात कर लीजिए, बात खत्म । **...(व्यवधान)...** मैंने आपको कह दिया है कि आप चेम्बर में आकर बात कर लीजिए । **...(व्यवधान)...** यह तो अच्छी बात नही है । **...(व्यवधान)...** चलिए बोलिए ।

* Not recorded.

**श्रम मंत्री (श्री साहिब सिंह वर्मा)** : माननीय सभापति जी, **...(व्यवधान)...** अभी कई माननीय सदस्यों ने स्ट्राइक पर चर्चा की और माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी कहा कि यह स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। यह श्रमिक की बात कहां तक ठीक है। श्रमिकों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नही है। **...(व्यवधान)...**

DR. ARUN KUMAR SARMA: *

MR. CHAIRMAN: You can do whatever you like but you will not be allowed to interrupt the proceedings of the House.

**श्री संजय निरुपम** : *

**श्री सभापति** : आप इस समय बीच में नही है। **...(व्यवधान)...** आज अजीब बात कर रहे हैं प्रधान मंत्री जी यहां **...(व्यवधान)...** गलत बात है। **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरुपम** : बाद में चर्चा हो या नही **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : इस पर चर्चा होगी कि नही होगी, यह बाद में तय करेंगे। **...(व्यवधान)...**

**श्री साहिब सिंह वर्मा** : माननीय सभापति जी, जहां तक श्रमिकों के हड़ताल पर जाने की बात है तो देश के श्रमिकों को आज भी हड़ताल पर जाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने उस अधिकार के बारे में, जो श्रमिकों को प्राप्त है, उस पर कोई पाबंदी लगाने की बात नही कही है **...(व्यवधान)...**

DR. ARUN KUMAR SARMA: Sir, I have full respect for you. *...(Interruptions)...*

**श्री संजय निरूपम** : इस विषय पर एक बयान आ जाए **...(व्यवधान)...** इस विषय पर चर्चा होगी या नही होगी **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : मैं एक बात बता दूं **...(व्यवधान)...** आप दोनों की सुन लीजिए **...(व्यवधान)...** मैं एक बात कह रहा हूं कि मैंने आपसे कहा कि अभी डिबेट खत्म हो जाए। आप मेरे पास आ जाइए, मैं माननीय मंत्री महोदय से बात करके कि यह डिबेट कब करानी है, कैसे करनी है, यह होनी है या नही होनी है, यह तय करके आपको बता दूंगा **...(व्यवधान)...**

* Not recorded.

**श्री एस.एस. अहलुवालिया** : बी.ए.सी. की मीटिंग है **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरुपम** : हमने इतना ही निवेदन किया था कि इस विषय पर चर्चा होगी **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : चर्चा हो जाएगी **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरुपम** : बिहार के लोगो की हत्या हुई, उस पर चर्चा होगी कि नही होगी **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : देखिए, मैं आपको बता दूं कि चर्चा तो होगी। कब करनी है, केवल इतना ही तय करना है **...(व्यवधान)...** मैंने उनसे कह दिया है **...(व्यवधान)...** मैंने उनसे खुद कह दिया है कि चर्चा होगी **...(व्यवधान)...** मैं समय देखकर चर्चा करा दूंगा **...(व्यवधान)...** आप बार-बार इसी को बोल रहे हैं **...(व्यवधान)...** क्या मैंने आपसे नही कहा है? **...(व्यवधान)...** क्या मैंने आपसे नही कहा है ? **...(व्यवधान)...** अब आप बैठ जाइए, ज्यादा टाइम मत लीजिए **...(व्यवधान)...** मैंने आपसे कहा था कि इस विषय पर चर्चा होगी, मैं सरकार से बात करूंगा **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरुपम** : केवल इतना ही पूछा था **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : पूछा नही है **...(व्यवधान)...** मैंने इनको दो बार अपने चैम्बर में कह दिया है **...(व्यवधान)...** अगर हाउस में रिपीट करना चाहें तो मर्जी की बात है **...(व्यवधान)...**

SHRI EKANATH K. THAKUR (Maharashtra) : Sir, I am not speaking on that subject. ...*(Interruptions)..A* was a party to the notice. My party's stand is that we support the workers. ... *(Interruptions)...* This one sentence should go on record. ...*(Interruptions)...* संजय जी बोल रहे थे **...(व्यवधान)...**

MR. CHAIRMAN: That chapter is over. संजय जी बोल रहे थे वह चैप्टर अब खत्म हो गया है **...(व्यवधान)...**

SHRI EKANATH K. THAKUR: Sir, I have signed the notice.

**श्री सभापति** : जिन लोगों ने मुझे नोटिस दिया, मैंने सबसे कहा कि असम, बिहार के मामले में चर्चा होगी, कब होगी, यह मैं तय करने के बाद आपको बता दूंगा, आप बैठ जाइए **...(व्यवधान)...**

SHRI EKANATH K. THAKUR: It is not about Assam. ... *(Interruptions)...* It is about the right to strike. I have signed the notice. ...*(Interruptions)...*

**श्री सभापति** : वह ठीक है, आपने नोटिस दिया है, यही जानकारी देना चाहते हैं न, बस बैठ जाइए।

SHRI EKANATH K. THAKUR: No, Sir. I want our party"s stand to go on record. I have signed the notice. *...(Interruptions)...*

**श्री सभापति** : अब हो गया है, मैंने कह दिया है, इनका नाम भी रिकार्ड में देना **...(व्यवधान)...** इन्होंने भी नोटिस दिया है **...(व्यवधान)...**

**श्री साहिब सिंह वर्मा** : माननीय सभापति जी, स्ट्राइक के बारे में जो मसला उठाया गया था,उसमें मैं एक स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज भी देश में जो श्रमिक काम करते हैं, जैसा मिश्र जी ने कहा,मैं यह बताना चाहता हूं कि उन श्रमिकों को हड़ताल करने का हक है। इवन जो यूटिलीटी सर्विस में काम करते है उनको भी हड़ताल करने का हक है लेकिन उन्हें नोटिस देना होता है। जो पब्लिक यूटिलिसी सर्विस में काम नही करते, देश में उन सभी श्रमिकों को हड़ताल पर जाने का हक है, यह हक किसी ने छीना नही है, यह मैं बताना चाहता हूं कि in sections 22 and 23 of the Industrial Disputes Act, 1947, it is laid down very clearly. There are, of course, certain restrictions on public utility services. Otherwise, there is a right to strike and that right has not been taken away by any court or by anyone. That is still in existence and they can go on strike, जिन 2.5 लाख पेट्रोलियम वर्कर्स की बात कर रहे है, जो स्ट्राइक पर गए है, उनको स्ट्राइक पर जाने का हक है। उस हक के नाते वे स्ट्राइक पर गए है और सुप्रीम कोर्ट कि कोई रेस्ट्रिक्शन उन पर नही है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। "Section 22 of the Industrial Disputes Act defines strike as cessation of work by a body of persons employed in any industry acting in combination, or a concerted refusal, or a refusal under a common understanding, of any number of persons who are or have been so employed to continue to work or to accept employment. The concept of strike covers only those persons employed in any industry and not Government employees in general." The Supreme Court has said this about the case of the Government employees of the State of Tamil Nadu. That is covered by the Civil Service (Conduct) Rules. इसलिए यह जो एक कंफ्यूजन देश में फैलाया जा रहा है कि श्रमिकों को हड़ताल करने का हक नही है, श्रमिकों को हड़ताल करने का हक आज भी है, यह कल भी था, यह कानून में दिया गया है, उसको किसी ने विदड्रा नही किया है, उसे तब तक कोई विदड्रा नही कर सकता है जब तक कि इस एक्ट में कोई अमेंडमेंट न हो।

एक तो यह बात मैं साफ करना चाहता हूं। दूसरी बात ,जहां तक गवर्नमेंट एम्लाइज़ की बात है, तो उनके ग्रीवांसेज के लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत सारे है। अगर आप चाहें तो मैं उनके बारे में जानकारी दे सकता हूं।

1.00 p.m.

**श्री सभापति** : वे सब इनको मालूम हैं ।

**श्री नीलोत्पल बसु** : आप थोड़ा सा यह बता दीजिए कि इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के कितने केसेज़ लटके हुए है और कितनी जगह पर आप अभी भी **...(व्यवधान)...** नही दे सकते है और कितने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एम्प्लाइज़ के पक्ष में राय लेने के बाद भी आप यहां सदन में उसको नकारने के लिए आते हैं ? **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : अभी एक का तो जवाब आने दीजिए । सब का एक साथ जवाब कैसे देंगे ।

SHRI SAHIB SINGH VERMA: Where there is disagreement in the JCM, a provision for compulsory arbitration also exists for further protection of the interest of the Government employees. The Awards of the Board of Arbitration are binding on the Government, subject to the overriding authority of Parliament. In fact, 154 Awards of the Board of Arbitration have already been implemented so far. You wanted to know the number of cases.

SHRI NILOTPAL BASU: How many of these have been rejected by the Parliament! In how many cases the Industrial Tribunals, year after year, are not seeking...*(Interruptions)...* Because your Ministry is not providing judges for the Benches. *...(Interruptions)...* यह तो अधुरा कह रहे हैं **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : आप पहले इसको खत्म करने दीजिए ।

**श्री साहिब सिंह वर्मा** : सभापति जी, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की आड़ में श्रमिकों को भ्रमित कर रहे हैं **...(व्यवधान)...**

**श्री नीलोत्पल बसु** : प्रधानमंत्री जी को अगर मैं कोट करूं **...(व्यवधान)...**

**श्री साहिब सिंह वर्मा** : जो लोग सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आड़ में श्रमिकों को भ्रमित कर रहे है, मैं उन नेताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया **...(व्यवधान)...**

**श्री नीलोत्पल बसु** : सर, यह गलत बात है । यह सदन को गुमराह कर रहे है । यह सवाल का जवाब नही दे रहे है, बल्कि हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं । सर, यह गलत बात है । हमें आपको संरक्षण देना होगा ।

**श्री सभापति** : माननीय मंत्री महोदय, आप अपनी बात कहिए, बस।

**श्री साहिब सिंह वर्मा** : महोदय, मैं एक बात को स्वीकार करता हूं कि आर्बिट्रेशन में जो केसेज़ पड़े हैं वे काफी बडी संख्या में पड़े हुए है। उनका एक्स्पीडीशियस्ली डिस्पोज़ल हो, उस बात की आवश्यकता है और यह बात मैं मानता हूं कि वह होना चाहिए। इस वक्त 18 ट्रिब्यूनल्ज़ हैं और करीब 11 हजार केसेज़ पैंडिंग पड़े हुए हैं। **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : यह बहुत ज्यादा हैं। **...(व्यवधान)...**

**श्री नीलोत्पल बसु** : और कितने-कितने जजेज़ नही देते है बैंच के लिए। **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : बस, अब बात हो गई। **...(व्यवधान)...**

**श्री संजय निरुपम** : आदरणीय सभापति जी **...(व्यवधान)...**

**श्री सभापति** : आदरणीय सभापति जी की आज्ञा है की आप पहले भोजन करके आइये और फिर बहस कीजिए। अब सदन की बैठक अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House re-assembled after lunch at two minutes past two of the clock,
THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

---

## OBSERVANCE OF 16$^{m}$ DECEMBER, VIJAYA DIWAS, AS A DAY OF NATIONAL IMPORTANCE

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Madam Deputy Chairman, through your kindness, I briefly want to raise an issue for the attention of this House and the Government.

Today, the 16$^{h}$ December, is Vijaya Diwas, on which day in 1971, the Pakistani forces in erstwhile East Pakistan, now, Bangladesh, signed an Instrument of Surrender at Dhaka acknowledging their unconditional capitulation to the Indian Armed Forces. Ninety-three thousand Pakistani troops laid down their weapons and were transported into Indian custody